क्रम-संख्या–18(क–2)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल० डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, सोमवार, 19 फरवरी, 2024

माघ 30, 1945 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या 185 / वि0स0 / संसदीय / 20(सं)-2024

लखनऊ, 6 फरवरी, 2024

अधिसूचना

प्रकीर्ण

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 6 फरवरी, 2024 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 2023 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

अधिनियम संख्या 2 सन् 1899 की अनुसूची 1–ख के अनुच्छेद 48 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1–ख के अनुच्छेद 48 में, खण्ड (ङ) तथा (ङङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख दिए जायेंगे, अर्थातः–

(ङ) (एक) जब अटर्नी को अचल सम्पत्ति के विक्रय करने का अप्रतिसंहरणीय प्राधिकार प्रदान किया जाय।	अचल संपत्ति, जो मुख्तारनामा की विषय–वस्तु हो, के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण [संख्या 23 खण्ड (क)] के समान शुल्क ।
(दो) जब अटर्नी को अचल सम्पत्ति के विक्रय करने का प्राधिकार प्रतिफल के रूप में प्रदान किया जाय।	अचल संपत्ति, जो मुख्तारनामा की विषय–वस्तु हो, के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण [संख्या 23 खण्ड (क)] के समान शुल्क ।
(ङङ) (एक) जब परिवार के सदस्यों [पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू, पुत्री, दामाद, भाई, बहन, पौत्र/पौत्री (पुत्र का पुत्र/पुत्री), नाती/नातिन (पुत्री का पुत्र/पुत्री)] को सम्बन्ध के सबूत के साथ प्राधिकृत किया जाय।	5000 रूपये
(दो) जब उपखण्ड (एक) में उल्लिखित परिवार के सदस्यों से भिन्न किसी व्यक्ति को मुख्तारनामा के माध्यम से अचल सम्पत्ति के विक्रय करने के लिए प्राधिकृत किया जाय।	अचल संपत्ति, जो मुख्तारनामा की विषय–वस्तु हो, के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण [संख्या 23 खण्ड (क)] के समान शुल्क ।

निरसन और व्यावृत्ति

3–(1) भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2023 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 19 सन् 2023

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

———————

उद्देश्य एवं कारण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) (जिसे आगे ''उक्त अधिनियम'' कहा गया है) स्टाम्प से सम्बन्धित विधि को समेकित तथा संशोधित करने के लिये अधिनियमित किया गया है।

वर्तमान समय में रजिस्ट्रीकृत मुख्तारनामा विलेखों के नियमित समीक्षा से यह संज्ञान में आया है कि कुछ मुख्तारनामा विलेख ऐसे व्यक्तियों के पक्ष में रजिस्ट्रीकृत किये जा रहे थे जो परिवार के सदस्य नही थे, और उक्त विलेख में बिना प्रतिफल का उल्लेख किये स्थावर सम्पत्ति विक्रय का प्राधिकार ऐसे मुख्तारनामा में निहित किया जा रहा था और उक्त विलेख मात्र रुपये 50/– का स्टाम्प शुल्क के संदाय के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत किये जा रहे थे। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे मामले प्रकाश में आये जिनमें विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा आवंटित स्थावर सम्पत्तियाँ, उक्त सम्पत्तियों के आवंटियों द्वारा केवल ऐसे मुख्तारनामा विलेख के आधार पर अन्तरित की जा रही थी, ऐसे मामले भी

प्रकाश में आये हैं जहाँ अन्य राज्यों में मुख्तारनामा सम्बन्धी विधियों में परिवर्तन कर दिये जाने के कारण अन्य राज्यों में स्थित स्थावर सम्पत्तियों के सम्बन्ध में मुख्तारनामा विलेख का रजिस्ट्रीकरण नियमित रूप से उत्तर प्रदेश राज्य में कराया जा रहा था। इस प्रकार मुख्तारनामा विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क सम्बन्धी उपबंधों के दुरुपयोग से न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों के स्टाम्प राजस्व पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा था। उपरोक्त के दृष्टिगत उक्त अधिनियम, की अनुसूची 1–ख के अनुच्छेद 48 का संशोधन करने का विनिश्चय किया गया।

चूँकि, राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 को भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 19 सन् 2023) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

रवीन्द्र जायसवाल
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार),
स्टाम्प, न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन।

———————

<u>भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत धाराओं का उद्धरण</u>

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899

अनुसूची 1–ख

अनुच्छेद 48–मुख्तारनामा [जैसा धारा 2 (21) में परिभाषित है] जो प्रॉक्सी (क्रमांक 52) न हो।

X	X	X
X	X	X
X	X	X
X	X	X

(ङ) जब प्रतिफल के उपलक्ष्य में दी जावे और मुख्तार को कोई अचल सम्पत्ति विक्रय करने के लिये अधिकृत करे।	प्रतिफल की राशि के लिये हस्तान्तरण (क्रमांक 23) खण्ड (क) के समान शुल्क।
(ङङ) जब मुख्तार को अचल सम्पत्ति का विक्रय करने के लिये अखन्डनीय अधिकार दिया जाये।	ऐसे अधिकार की विषय–वस्तु के बाजारी मूल्य पर हस्तान्तरण (क्रमांक 23) खण्ड (क) के समान शुल्क।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 91/XC-S-1–24-03S-2024
Dated Lucknow, February 19, 2024

NOTIFICATION
MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Bhartiya Stamp (Uttar Pradesh Sanshodhan) Vidheyak, 2024" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on February 6, 2024.

INDIAN STAMP (UTTAR PRADESH AMENDMENT) BILL, 2024

A

BILL

further to amend the Indian Stamp Act, 1899 in its application to Uttar Pradesh.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows :-

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Indian Stamp (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2024.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come in to force with effect from December 28, 2023.

Amendment of Article 48 of Schedule 1- B of Act no. 2 of 1899

2- In Article 48 of Schedule 1-B of the Indian Stamp Act, 1899 as amended in its application to Uttar Pradesh, *for* clauses (e) and (ee), the following clauses shall be *substituted*, namely:-

"(e) (i) When irrevocable authority is given to the attorney to sell the immovable property.	The same duty as a Conveyance [No. 23 clause (a)] on the market value of the immovable property which is the subject matter of the power of attorney.
(ii) When authority to sell the immovable property is given to the attorney for consideration.	The same duty as a Conveyance [No. 23 clause (a)] on the market value of the immovable property which is the subject matter of the power of attorney.
(ee) (i) When the members of the family [father, mother, husband, wife, son, daughter-in-law, daughter, son-in-law, brother, sister, grand son/grand daughter (son's son/daughter), grand son/ grand daughter (daughter's son/ daughter)] to be authorized with proof of relationship.	Rs. 5000/-
(ii) When any person other than the members of the family mentioned in sub-clause (i) is authorized to sell the immovable property by means of Power of Attorney.	The same duty as a Conveyance [No. 23 clause (a)] on the market value of the immovable property which is the subject matter of the power of attorney."

Repeal and saving

3. (1) The Indian stamp (Uttar Pradesh Amendment) Ordinance, 2023 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 19 of 2023

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

———————

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) (hereinafter referred to as the "said Act") has been enacted to consolidate and amend the law relating to stamps.

Form a regular review of power of attorney deeds registered in the recent period, it has come to knowledge that some power of attorney deeds were being registered in favour of persons who were not members of family, and the authority of sell immovable property was being vested in such power of attorney, without mentioning any consideration in the said deed, and the said deeds were being registered after paying stamp duty of only Rs. 50/-. A large number of such cases had come to light in which immovable properties allotted by various authorities were being transferred by the allotees of the said properties on the basis of such power of attorney deeds only. Such cases have also come to light where due to changes in laws relating to power of attorney in other States, registration of power of attorney deeds in respect of immovable properties situated in other States were being done regularly in the State of Uttar Pradesh. Thus, misuse of provisions regarding chargeability of stamp duty on power of attorney deeds was causing an adverse impact on stamp revenue of not only Uttar Pradesh but also other States. In view of the above, it was decided to amend Article 48 of Schedule 1-B of the said Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Indian Stamp (Uttar Pradesh) Ordinance, 2023 (U.P. Ordinance no. 19 of 2023) was promulgated by the Governor on 28th December, 2023.

This bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

RAVINDRA JAISWAL
Rajya Mantri (Swatantra Prabhar),
Stamp, Nyayalay Shulk evam Panjiyan.

———————

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 1125 राजपत्र—2024—(3139)—599+30=629 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

1125 RPH (Bhartiya Stamp) (Sansadiya) 2024 Data 4e